आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छतरपुर (पलामू)।

.....

विविध वाद संख्या–131/2017

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

राम विनेश यादव ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

बाबुनंद पासवान वगैरह ---------- द्वितीय पक्ष

यह प्रक्रिया धारा 144दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत आवेदक राम बिनेश यादव पिता जगन यादव ग्राम– लठेया, पोस्ट– लठेया, थाना– छतरपुर, जिला–पलामू ने 1. बाबु नंद पासवान 2. प्रवल पासवान 3. उपेन्द्र पासवान 4. अरविन्द पासवान चारों के पिता महंगु पासवान 5. उर्मिला देवी पति बाबुनंद पासवान 6. मीना देवी पति प्रवल पासवान 7. चिन्ता देवी पति अरविन्द पासवान 8. सीता राम पासवान पिता दुखी पासवान 9. महंगू पासवान पिता काला पासवान सभी ग्राम– लठेया, थाना– छतरपुर, जिला–पलामू के विरूद्ध कार्रवाई हेतु आवेदन–पत्र दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पत्र के अलोक में थाना प्रभारी, छतरपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। थाना प्रभारी, छतरपुर ने अप्राथमिकी संख्या– 07/17, दिनांक 28.04.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच प्रतिवेदन में रामविनेश यादव पिता जगन यादव ग्राम– लठेया, थाना– छतरपुर को प्रथम पक्ष तथा 1.बाबुनंद पासवान 2. प्रवल पासवान 3. उपेन्द्र पासवान 4. अरविन्द पासवान सभी के पिता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	महंगु पासवान ग्राम लठेया, थाना– छतरपुर, जिला–पलामू को द्वितीय पक्ष का पक्षकार बनाया है। उभय पक्षों के बीच उक्त भूमि को लेकर कोई अप्रिय घटना नहीं घट सके तथा शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिए धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाते हुए निरोधात्मक कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया है। विवादित भूमि का विवरण मौजा–लठेया, खाता सं0–46, प्लॉट सं0–297/1, रकबा–0.18एकड़, चौहद्दीः– उतर– विजय सिंह, दक्षिण–नीज प्रथम पक्ष, पुरब–मुनेश्वर पासवान, पश्चिम– सड़क के लिए उभय पक्षों के उपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया कायम कर उभय पक्षों को जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये। प्रथम पक्ष के कारण पृच्छा का सार यह है मौज– लठेया के खाता संख्या– 46, प्लॉट सं0– 297/1 रकबा 0.18एकड़ भूमि बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त है जिसका बंदोबस्ती वाद संख्या– 22/2004–05 है। बंदोबस्ती के आधार पर प्रथम पक्ष का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा सरकारी लगान रसीद कट रहा है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि प्रथम पक्ष के व्यक्ति निर्धन एवं साधारण खेती–बारी करने वाले व्यक्ति हैं, जिनके नाम से वाद भूमि बंदोबस्ती वाद सं0 22/2004–05 के द्वारा सरकारी लगान रसीद कट रहा है। विपक्षी प्रथम पक्ष के उक्त बंदोबस्ती भूमि पर जबरजस्ती प्रधानमंत्री आवास बनाने पर उतारू हैं, जबकी उक्त भूमि से संबंधित द्वितीय पक्ष के पास कोई भी राजस्व दस्तावेज नहीं है। वे बलपूर्वक आवेदक के बंदोबस्ती भूमि को कब्जा करना चाहते हैं। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि प्रथम पक्ष	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	के पिता ने अपने रैयती भूमि द्वितीय पक्ष के लोगों को जमीन रजिस्ट्री करने के नाम पर राशि लिया था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं किया गया। उक्त लेन–देन मौखिक था लिखित नहीं था। विपक्षी के द्वारा वर्तमान में जिस वाद भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कराया जा रहा है, वह गैरमजरूआ खाते की भूमि है, जिसे प्रथम पक्ष के लोग बंदोबस्ती करा लिये हैं तथा आवास बनाने से रोक रहे हैं। उभय पक्षों के कथन के आलोक में श्री गिरिवर मिंज, कार्यपालक दंडाधिकारी, छत्तरपुर एवं अंचल अधिकारी, छत्तरपुर से संयुक्त जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, छत्तरपुर के कार्यालय पत्रांक 382, दिनांक 19.06.2017 के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि वाद भूमि गैरमजरूआ खाते की भूमि है जिसका बंदोबस्ती वाद सं0 22/2004–05 के द्वारा प्रथम पक्ष के व्यक्ति सूर्यदेव यादव, मुखदेव यादव एवं रामविनेश यादव पिता श्री जगन यादव के नाम से हुई है तथा उनहीं के नाम से सरकारी लगान रसीद भी कट रहा है। विपक्षी बाबुनंद पासवान के पास उक्त भूमि का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। किन्तु प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जा रहा है। स्थल खाली था, जिसपर विपक्षी निर्माण करना चाहते है। जबकि प्रथम पक्ष उनकी बन्दोबस्ती भूमि होने के कारण निर्माण कार्य को रोकना चाहते हैं। उभय पक्ष के कारण पृच्छा के अवलोकन करने तथा उनके विज्ञ अधिवक्ता के बहस सुनने के साथ संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद भूमि गैरमजरूआ खाते की भूमि है, जो प्रथम पक्ष के नाम से बन्दोबस्त है, तथा प्रथम पक्ष के नाम से सरकारी लगान रसीद कट रहा है, जबकि वाद भूमि से संबंधित कोई भी दस्तावेज द्वितीय पक्ष उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं । चूंकि प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि बंदोबस्ती होने का साक्ष्य दिया गया है	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अतः प्रथम पक्ष को निदेश दिया जाता है कि वे अपनी बंदोबस्ती भूमि की मापी करा लें। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** **अनुमंडल दंडाधिकारी,** छत्तरपुर (पलामू)। **अनुमंडल दंडाधिकारी,** छत्तरपुर (पलामू)।	